

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## प्रमाण-पत्र

सत्र 2024-25 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक : प 14(8)/विभा-1/2009/पार्ट-8 दिनांक : 30.03.2022 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र, माध्यम, कक्षा स्तर, संकाय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से संबद्धता प्रदान हेतु निम्नलिखित शर्तों की अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र फॉर्मल सत्र 2024-25 के लिए ही मान्य होगा।
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम 2011 की पालना की जाएगी।
3. विद्यालय/संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जाएगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मातृशालीनी के काम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाएगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अक्षरशः पालना की जाएगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवर्गित से किसी भी प्रकार का मुल्क नहीं लिया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (डे स्कूलर/नॉर्निंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का संचालन मान्यता प्राप्त स्तर तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अख्यार से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से संबद्धता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अख्यार को सूचित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से संबद्धता खत्म हो समाप्त हो जाएगी।
8. विद्यालय में अभिप्रामाण पत्र स्थापित किया जाना एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना होगा।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में गोबाईस टावर स्थापित नहीं की जाएगी।
10. राजस्थान विद्यालय (पीएस का) अधिनियम, अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा बंछित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिवसीय जनों के लिए रेमू एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जानी होगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता/कमोब्रिडि प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
16. निगिड फेसलर में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

नोट - अनापत्ति प्रमाण पत्र को संग्रह में जारी शासन का पत्र दिनांक \_\_\_\_\_ के कम में संग्रहित होकर ही मान्यता दी गई है तो उन शर्तों को पालना करनी अनिवार्य होगी।

प्रमाण पत्र जारी की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

| जिला                              | NAGOUR                                  | ब्लॉक                    | DIDWANA             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| विद्यालय का नाम                   | ACADEMIC HEIGHTS PUBLIC SCHOOL (P60205) |                          |                     |
| संबद्धता (CBSE/CISCE/CAIE)        | CBSE                                    |                          |                     |
| एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र | 2024-25                                 | माध्यम                   | English             |
| विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर     | Upper Primary (1-8)                     | एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर | Upper Primary (1-8) |

नोट - उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय की विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर, संकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबद्धता की एन.ओ.सी. प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.  
The School Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is bound to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate shall be cancelled.

निदेशक  
आई.एस.  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

नोट - यह प्रमाण पत्र केवल / एन.ओ.सी. विभा / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की मुद्रता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्कूल / एन.ओ.सी. विभा / निदेशालय जिम्मेदार होगा।

Document certified by ASHISH MODI  
<ashishmodi.kgp@gmail.com>  
Digitally Signed by Ashish Modi  
Designation: Director  
Date :12-09-2024 01:01:43

HEAD MASTER  
Academic Heights Public School  
Didwana

सचिव  
विद्यादानी मां सत्सती एजुकेशन सोसायटी बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा.मा./पीएसपी.सी./अ-2/60567/सीबीएसई एनओसी/2024-25

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

TO

From

विद्यालय का नाम :- ACADEMIC HEIGHTS PUBLIC SCHOOL  
(P60205)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

विद्यालय का वर्तमान पता :- ACADEMIC HEIGHTS PUBLIC  
SCHOOL, KALWANI ROAD, DIDW

संस्था का नाम :- Vidhyadatri Maa Saraswati Education Society

एनओसी कोड:- RJNGR34647

आवेदन क्रमांक :-48945

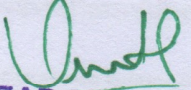
Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2024-25 के लिए सी बी एस सी ई/सी.आई.एस.सी.ई/सी.आई.ई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय ACADEMIC HEIGHTS  
PUBLIC SCHOOL (P60205) ACADEMIC HEIGHTS PUBLIC SCHOOL, KALWANI ROAD, DIDW को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम  
1993 के अधीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीकृत संस्था Vidhyadatri Maa Saraswati Education Society के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी विद्यालय  
ACADEMIC HEIGHTS PUBLIC SCHOOL (P60205) को शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| विद्यालय का नाम -                                   | ACADEMIC HEIGHTS PUBLIC SCHOOL (P60205)            |
| सर्वे संख्या /प्लॉट संख्या / खसरा संख्या /<br>पता - | ACADEMIC HEIGHTS PUBLIC SCHOOL, KALWANI ROAD, DIDW |
| गांव/शहर -                                          | KALWANI                                            |
| तहसील/कस्बा -                                       | DIDWANA                                            |
| मान्यता कोड -                                       | RJNGR34647                                         |
| विद्यालय का पीएसपी कोड                              | P60205                                             |

  
**HEAD MASTER**  
Academic Heights Public School  
Didwana

  
सचिव  
विद्यादात्री मां सरस्वती एजुकेशन सोसायटी बीकानेर

नोट: NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ (मा.शि.) / निदेशालय जिम्मेदार होगा।